वन संरक्षण 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग - 01
(प्रत्येक एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1 परियोजना का नाम

1	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना का विवरण	छत्तीसगढ़ राज्य के जिला एवं तहसील, नारायणपुर के ग्राम गढ़बेंगाल के प0ह0नं0-11 खसरा नं0-33 रकबा-8.72 हेक्टेयर भूमि में से 3.530 हेक्टेयर, ग्राम गरांजी के प0ह0नं0-04 खसरा नं0-362 रकबा-12.84/5.195 हेक्टेयर भूमि में से 5.000 हेक्टेयर एवं खसरा नं0-363 रकबा-12.77/5.169 हेक्टेयर भूमि में से 4.369 हेक्टेयर **कुल योग- 12.899** हेक्टेयर छोटे झाड़ का जंगल मद की राजस्व वनभूमि नव गठित 16वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल, मुख्यालय हेतु "आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन" की स्थापना के लिए उपलब्ध कराने बाबत्।
2	1:50,000 स्केल के मैप पर वनभूमि और उसके आसपास के दोनों के सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है। कृपया देखें परिशिष्ट क्रमांक -.....
3	परियोजना की लागत	16वीं वाहिनी मुख्यालय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक मूलभूत सुविधओं की मांग पुलिस मुख्यालय से की गई है।
4	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	जिला नारायणपुर नक्सली गतिविधियों के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। जिसके कारण यह क्षेत्र नक्सलियों की शरण स्थली बनी हुई है। इस परिपेक्ष्य में बढ़ती नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं नक्सली उन्मूलन तथा कानून व्यवस्था की स्थिति के दृष्टिगत राज्य शासन के मंशानुरूप जिला नारायणपुर में 16वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल, का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी स्थापना के लिए चयनित भूमि नव गठित 16वीं वाहिनी (भा0/र0) छ0स0बल, मुख्यालय के लिए उपयुक्त है, अर्थात सड़क, बिजली, पानी, दूरसंचार इत्यादि बुनियादी आवश्यकताएं सुलभ ही मुहैया हो सकती है। चयनित भूमि के अलावा निकटतम क्षेत्र में वृक्ष विहिन एवं उपयुक्त गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है।
5	लागत लाभ विश्लेषण	16वीं वाहिनी मुख्यालय स्थापित किये जाने से राज्य शासन के मंशानुरूप उद्देश्य की पूर्ति संभावित है।
6	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	जिले में 16वीं वाहिनी मुख्यालय हेतु "आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन" की स्थापना के लिए स्थापित किये जाने से क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ पुलिस बल की भर्ती से स्थानीय जनों को रोजगार प्राप्त होगा।

2 कुल आपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण

ग्राम गढ़बेंगाल के प0ह0नं0-11 खसरा नं0-33 रकबा-8.72 हेक्टेयर भूमि में से 3.530 हेक्टेयर, ग्राम गरांजी के प0ह0नं0-04 खसरा नं0-362 रकबा-12.84/5.195 हेक्टेयर भूमि में से 5.000 हेक्टेयर एवं खसरा नं0-363 रकबा-12.77/5.169 हेक्टेयर भूमि में से 4.369 हेक्टेयर **कुल योग-12.899** हेक्टेयर भूमि में नव गठित 16वीं वाहिनी (भा0/र0)

		छ0स0बल, मुख्यालय हेतु ''आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन'' की स्थापना के लिए किया जाना प्रस्तावित है।
3	**परियोजना के कारण लोगों को हटाने की विवरण यदि कोई है।**	इस क्षेत्र पर कोई बसाहट नहीं है।
1	परिवारों की संख्या	निरंक
2	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
3	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अतंर्गत मंजुरी आवश्यकता है। (हॉ या नहीं)	नहीं (प्रस्तावित भूमि पर खड़े वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी तथा 16वीं वाहिनी मुख्यालय हेतु ''आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन'' की स्थापना से पर्यावरण प्रभावित नहीं होगा अतएव पर्यावरण विभाग की मंजूरी आवश्यक नही है।)
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसार और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण के लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनावृद्धता (वचनावृद्धता संलग्न की जायें)	वचन पत्र संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	चेक लिस्ट के अनुसार

संलग्न :-

(1) प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप।
(2) कुल अपेक्षित भूमि पर उद्देश्यवार विवरण।
(3) वचन पत्र।
(4) वैकल्पिक वुक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र।
(5) न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र।
(6) संबंधित ग्राम पंचायत एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(7) पटवारी नक्शा/खसरा।
(8) आवेदित स्थल दर्शाने वाला 1:15,000 स्केल का नक्शा।
(9) सर्वे ऑफ इण्डिया का 1:50,000 स्केल का नक्शा।
(10) पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का डी0डी0।

सेनानी
16वीं वाहिनी(भा0/र0)छ0स0बल
नारायणपुर